श्री कुणाल सिल्कू, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता मे एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स व अन्य बिन्दुओ पर आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 14.06.2017 की कार्यवृत्तिः–

उपस्थिति–

1. सर्वश्री कुणाल सिल्कू,	जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
2. श्री अनिल कुमार मिश्र	मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. " बाबूराम	अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सिद्धार्थनगर।
4. " गुरु प्रसाद	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सिद्धार्थनगर।
5. " सुदामा प्रसाद	जिला विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. डा. महेन्द्र कुमार मीणा	उपजिलाधिकारी बांसी।
7. डा. राजीव कुमार	उप निदेशक कृषि सिद्धार्थनगर।
8. श्री बी.डी. पाण्डेय	जिला पंचायत राज अधिकारी सिद्धार्थनगर।
9. " सोमारु प्रधान	जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर।
10. " अरविन्द कुमार पाठक	बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर।
11. " जुबेर बेग,	उपजिलाधिकारी इटवा।
12. " सत्य प्रकाश सिंह,	उपजिलाधिकारी शोहरतगढ।
13. " राजेन्द्र प्रसाद	उपजिलाधिकारी डुमरियागंज।
14. " आलोक सक्सेना	उप प्रभागीय वनाधिकारी सिद्धार्थनगर।
15. " मदन मोहन वर्मा	तहसीलदार नौगढ़।
16. " राजेश कुमार जायसवाल	तहसीलदार बांसी।
17. " संतोष कुमार सिंह	तहसीलदार डुमरियागंज।
18. " मेवालाल	तहसीलदार इटवा।
19. " सी.पी. गुप्ता	अधि. अभि., लो.नि.वि. प्रा.खण्ड सिद्धार्थनगर।
20. " भूपेश मणि त्रिपाठी	अधि. अभि., पी.डब्लू.डी. बांसी।
21. " टी. सिंह	अधि. अभि., पी.डब्लू.डी. सिद्धार्थनगर।
22. " विमलेश कुमार,	अपर जिला सूचना अधिकारी सिद्धार्थनगर।
23. " डी.एन. त्रिपाठी,	सी.ओ. इटवा।
24. " अकमल खॉ	सी.ओ. सिद्धार्थनगर।
25. " महिपाल पाठक	सी.ओ. बांसी।
26. " राजेश कुमार जायसवाल	तहसीलदार बांसी।
27. " राजीव रंजन	अधि.अधि., न.पा.परि. सि.नगर/न.पं. उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर।
28. " विकास आनन्द	अधि.अधि., न.पं., शोहरतगढ़/बढ़नी
29. " संजय दूबे	एण्टी माफिया सेल, सिद्धार्थनगर।
30. " राजाराम	डी.एल.आर.सी. कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर।

आज दिनांक 14.06.2017 को सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र सं–402/1–2–2017–1 (सामान्य)/2017 दिनांक 01.05.2017 के अनुपालन मे अतिक्रमण/अवैध कब्जा की गयी सम्पत्तियों को चिन्हित कर, भू–माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु बिन्दुओ पर प्रकाश डाला गया एवं विस्तृत चर्चा हुई। जिला स्तर पर

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स के अन्तर्गत आने वाले कार्यो के बारे मे निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि मा.मुख्य सचिव महोदय के पत्र दिनांक 01.05.2017 व इसी क्रम में निर्गत परिषादादेश सं–आर 1082/जी–5 01 अति0/2017 दिनांक 08 मई, 2017 एवं शासन से निर्गत पत्र दिनांक 08.06.2017 व प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन राजस्व अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 09.06.2017 में दिये गये भू–माफिया एवं अवैध कब्जेदारों को चिन्हित करने विषयक निर्देशों को भली–भांति अध्ययन करते हुए उसके अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा बैठक के दौरान जो विवरण पत्र प्राप्त हुआ, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रारुप अ, ब, स पर मात्र तहसीलो से ही सूचना प्राप्त हुई है। शेष किसी विभाग की सूचना प्राप्त नही हुई है। इसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभागो से भूमाफिया एवं अवैध कब्जा चिन्हिकरण करके निर्धारित प्रारुप पर अनिवार्य रुप से सूचना भेजी जाय। जिला स्तरीय अधिकारी अपनी सूचना जिला कार्यालय मे एवं तहसील स्तरीय अधिकारी उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट दें। यदि किसी विभाग की सूचना शून्य है तो उस विभाग द्वारा शून्य होने के कम मे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि मेरे स्तर से कोई भी भूमाफियॉ/अवैध कब्जा का प्रकरण संज्ञान मे नही आया। आप सभी क्षेत्र भ्रमण करे। शासन/परिषद के निर्देशानुसार क्षेत्रों मे भूमाफिया/अवैध कब्जे का चिन्हांकन कराये और कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 20.06.2017 यथा स्थिति तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे उपलब्ध करायें।

आप लोगो को इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे भी सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। यह भी अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण मे गावं सभा की भूमि चिन्हांकन हेतु प्रारुप अ(1), ग्राम सभा भूमि के अतिरिक्त अन्य सरकारी भूमि से सम्बन्धित प्रारुप 1(क) तथा भूमाफियाओं को चिन्हित किये जाने से सम्बन्धित प्रारुप 1(ख) पर सूचीबद्ध सूचना तैयार की जाय। इसके साथ ही साथ संख्यात्मक सूचना भेजने हेतु गांव सभा के प्रकरण को प्रारुप अ, गावं सभा से अन्य सार्वजनिक भूमियो के प्रकरणो प्रारुप ब एवं भूमाफिया चिन्हिकरण के प्रकरण को प्रारुप स पर स्पष्ट सूचना तैयार किया जाना अपेक्षित है। शासन के पत्र दिनांक 08.06.2017 के निर्देशानुसार वांछित सूचना दिनांक 31.05.2017 तक एवं दिनांक 20.06.2017 की सूचना दिनांक 22.06.2017 तक शासन को प्रत्येक दशा मे उपलब्ध कराया जाना है। सभी विभागाध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये शासन के इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें। आप सभी अवगत है कि एण्टी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का बिन्दु सरकार के प्राथमिकताओं के चिन्हित बिन्दुओ मे एक है। अतः इस सम्बन्ध मे ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायं। इसमे किसी प्रकार की शिथिलता एवं उदासीनता न बरती जाय। शासन एवं परिषद का यह मुख्य बिन्दु है। इसलिए इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय।

उक्त के अतिरिक्त सभी शासकीय सम्पत्तियो को चिन्हित किया जाय, जिन पर अवैध कब्जा/अतिकमण कर लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे दबंग व्यक्तियो को चिन्हित

किया जाय, जिनकी प्रवृत्ति/पेशा शासकीय/निजी सम्पत्तियो पर येनकेन प्रकारेण कब्जा करने की है। जिससे इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। शासकीय सम्पत्तियो पर हुये अतिक्रमण को चिन्हित करने का दायित्व सम्बन्धित विभागो/स्थानीय निकायो/प्राधिकरणो के जनपद स्तरीय अधिकारियो का होगा। जो आगामी दो माह के भीतर अपने विभाग की सम्पत्तियो पर हुये अतिक्रमणो, अतिक्रमणकारियो, अतिक्रमण हटाने के लिये किये गये प्रयासो एवं आ रही बाधाओ को सूचीबद्ध करेगें तथा इस आशय की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। जहाँ तक लावारिस एवं निजी सम्पत्तियो पर अवैध कब्जो का सम्बन्ध है, ऐसे मामलो मे सामान्यतः शिकायतें थाना स्तर पर प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार के दबंग व्यक्तियो को चिन्हित करने का कार्य मुख्य रुप से पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासन के उक्त आदेश के अनुपालन मे सम्बन्धित अधिकारियो से अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण कर अवैध कब्जा/अतिक्रमण से सम्बन्धित प्रकरणो की जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त मे उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी से शासनादेश सं–402/1–2–2017–1(सामान्य)/2017 दिनांक 01.05.2017, परिषदादेश सं0–आर 1082/ जी–5 01 अति0/2017 दिनांक 08 मई, 2017 व शासन के पत्र दिनांक 08.06.2017 मे दिये गये निर्देशो का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(कुणाल सिल्कू)
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1314 (20)/डी.एल.आर.सी./2017–18/दिनांक 15 जून, 2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।
3. अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सिद्धार्थनगर।
4. समस्त उपजिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
5. समस्त क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थनगर।
6. जिला पूर्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर।
7. जिला विज्ञान अधिकारी सिद्धार्थनगर।

15/6/17
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।